संख्या-12 /2022/I/146822/2022/71-4002(002)/3/2021-4

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह ,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 11 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के गैर वेतन मद में छठवीं किश्त (अंतिम किश्त) के रूप में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- रा0अ0सं0/वित्त/2021/414, दिनांक 02.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-0371 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 2585.59 लाख के संबंध में उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-0371 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत छठवी किश्त (अंतिम किश्त) के रूप धनराशि रू0 414.41 लाख (चार करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त् विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-3/3-3480-दस-2021-22, दिनांक 09.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
5- वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।